Received 17/08/2020

कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची ।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002, Email-pccf-ednodal@gov.in

(4)

पत्रांकः 592 राँची, दिनांकः– 17.8.2020

सेवा में,

वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल,
हजारीबाग।

विषय :– 33/11 के0भी0 पदमा सबस्टेशन से नचनवे सबस्टेशन तक 33 के0भी0 ट्रांशमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 7.608 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव।

प्रसंग :– आप का पत्रांक 1615 दिनांक 18.07.2020

महाशय,

प्रांसगिक पत्र द्वारा विषयगत परियोजना पदमा सबस्टेशन से नचनवे सबस्टेशन तक 33 के0भी0 ट्रांशमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 7.608 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव FP/JH/Velec/40349/2019 Online तथा Hard Copy इस कर्यालय में प्राप्त हुआ हैं। प्रस्ताव की पूर्ण जांच के कम में निम्नलिखित कांमियां/त्रुटियां पाई गई है।

1. प्रस्ताव के साथ वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत् उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा निर्गत दावारहित प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है।
2. इस परियोजना में प्रयुक्त 2.698 हे0 जंगल–झाड़ वन भूमि उपयोग के विरूद्ध उपायुक्त, हजारीबाग के ज्ञापांक 1012 (क0) दिनांक 13.08.2019 द्वारा कुल 5.860 हे0 जंगल–झाड़ वन भूमि हेतु निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न है। जो काफी विरोधाभाषी है।

(क) मौजा–लाटी में प्रस्तावित रकवा 0.570 हे0 है जबकि 0.568 हे0 का ही NOC प्राप्त है।
(ख) मौजा–सरैया के प्लोट न0 1543 रकवा 0.270 हे0 का NOC प्राप्त नही है।
(ग) मौजा–पदमा एवं नचनवे में प्रस्तावित प्लौटवार रकवा एवं प्राप्त NOC रकवा में भिन्नता है।

उपरोक्त कमियों/त्रुटियों के अभाव में प्रस्ताव राज्य सरकार को अग्रसारित करना सम्भव नही है। अनुरोध है कि कमियों/त्रुटियों का निराकरण प्रतिवेदन अविलम्ब इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सूनिश्चित किया जाये। भविष्य में इस तरह के अधूरा प्रस्ताव इस कार्यालय में अग्रसारित नही की जाय।

विश्वासभाजन

17/8

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

14.8.20

वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल
पत्र संख्या 2627
दिनांक 19.08.20
हजारीबाग (झारखण्ड)

कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग

ज्ञापांक 13-E-5-02/2020:– 1868 दिनांक 20.08.2020

प्रतिलिपि वन प्रमंडल पदाधिकारी, (नाम से) हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशित करना है कि उपरोक्त पत्र में प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची द्वारा किये गये पृच्छा का निराकरण करते हुए अविलम्ब प्रतिवेदन/अभिलेख समर्पित करना सुनिश्चित करें। भविष्य में किसी भी प्रकार के प्रस्ताव की गहनता से छान–बीन करने के उपरान्त ही त्रृटि रहित प्रस्ताव समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

वन संरक्षक
प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग
20.08.2020

D:\CFH\F.C. Act\Padma to Nachanve Transmission line\13-E-5-2-2020.docx